न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 26/2021, जी.सी.एम.एस. नं. 2021/47

1. खिलाडी पुत्र ग्यारसा
2. कमल पुत्र ग्यारसा
3. पप्पू पुत्र ग्यारसा
4. धनराज पुत्र खिलाडी
5. बुधराम पुत्र कमल
6. भूरया पुत्र कमल

समस्त जातियान गूर्जर निवासीयान कडीगांव की तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राज0।

अपी0

बनाम

1. शान्ति पत्नि रामहरि
2. पानादेवी पत्नि प्रहलाद

जातियान गूर्जर निवासीयान कडीगांवडी तहसील गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राज0।

रेस्पों0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी मु0न0 126/14 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2021)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की ओर से श्री इस्लामुद्दीन खान
2. रेस्पो0 की ओर से श्री शिवकुमार शर्मा

11.1.22

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

निर्णय **दिनांक 11.01.2022**

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 126/14 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2021 उनवानी शांति वगै0 बनाम खिलाडी वगै0 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पों. ने दावा बावत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि आराजी ख.नं. 639 रकबा 1.15 है0 स्थित ग्राम कडी गांवडी की तहसील गंगापुर सिटी है, जिसकी खातेदारी तुलसा बेवा हरिया, जयसिंह पुत्र हरिया के नाम थी। उक्त आराजी को ज[illegible] वादीगण/रेस्पों. द्वारा क्रय किया गया है। उक्त आराजी को क्रय कर भूमि पर कब्जा [illegible] नामांतकरण सं. 439 दिनांक 27.08.2013 को भूमि वादीगण/रेस्पों. के [illegible] की गई, त[illegible] वादीगण/रेस्पों. उक्त विवादित आ[illegible] की बहैसियत [illegible]तेदार काबिज रहकर [illegible] करते चले आ रहे है एवं सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण/अपी0 का वादीगण/रेस्पों. की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कोई संबंध व ताल्लुक वास्ता नहीं है। वादीगण/रेस्पों. द्वारा भूमि को क्रय किये जाने से प्रतिवादीगण/अपी0 नाराज थे। प्रतिवादीगण/अपी0 उक्त भूमि को खरीदना चाहते थे लेकिन खातेदार द्वारा प्रतिवादीगण/अपी0 को भूमि विक्रय न कर वादीगण/रेस्पों. को भूमि हस्तांतरित कर कब्जा संभला दिया। इस बात से प्रतिवादीगण/अपी0 के मन में बदयान्ति आ गयी। प्रतिवादीगण/अपी0 सरगना है। वादीगण/रेस्पों. गरीब महिलाएं है। वादीगण/रेस्पों. की असहाय स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण/अपी0 द्वारा वादीगण/रेस्पों. को परेशान किया जा रहा है। प्रतिवादीगण/अपी0 द्वारा दिनांक 12.10.2014 को वादीगण/रेस्पों. को एलांनिया धमकी दी कि भूमि पर काश्त नहीं करने देगें। प्रतिवादीगण/अपी0 काश्त का समय निकाल देना चाहते है ताकि भूमि अजोत पडी रह जायें तथा वादीगण/रेस्पों. अपनी काश्त नहीं कर सकें। प्रतिवादीगण/अपी0 नाजायज रूप से वादीगण/रेस्पों. को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से वादीगण/रेस्पों. को बेदखल कर देना चाहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण/अपी0 अपनी हरकतों से तब तक बाज नहीं आयेंगें जब तक कि उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमा दिया जावेंगा। अतः दावा विरूद्व प्रतिवादीगण/अपी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण/अपी0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वे वादीगण/रेस्पों. के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पों. द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पों. का दावा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपी0 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2021 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून रूहेदाद मिसिल है और विधि विरूद्ध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि रेस्पों. का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है जो [illegible] के बयानों से पूरी तरह साबित है। पी0डब्लू01 शान्ति देवी अपने [illegible] स्वीकार करती है कि उनका उक्त विवादित आराजी पर [illegible] ना तो पहले [illegible] है ना ही अब है। उक्त विवादित भूमि पर कब्जा अपीलार्थीगण [illegible] 01 शान्ति देवी स्वीकार करती है तथा वह यह भी स्वीकार करती है कि फसल अपीलार्थीगण द्वारा ही बोई गयी थी तथा उनके द्वारा ही काटी गयी है। वह इस तथ्य को भी स्वीकार करती है कि उक्त विवादित भूमि के चारों तरफ किस-किस की भूमि है उसे पता नहीं है तथा वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यह भी स्वीकार करती है कि उक्त विवादित भूमि के पूर्व के खातेदार द्वारा उन्हें कोई कब्जा नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि पर रेस्पों. का कोई कब्जा नहीं है और बिना कब्जे के दावा चलने योग्य नहीं है। उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुये तनकी सं. 01 को रेस्पों. के हक में निर्णित करने में कानूनी भूल कि है जबकि विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि बिना कब्जे के स्थायी निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है। तनकी सं. 02 को भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पों. के हक में निर्णित करने में कानूनी भूल की है कि पी0डब्लू01 शान्ति के बयानों में जब कब्जा रेस्पों. का नहीं है तो ऐसी स्थिति में दिनांक 12.10.14 को वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 02 को रेस्पों. के हक में निर्णित करने में कानूनी भूल कि है तथा पी0डब्लू01, पी0डब्लू02 एवं पी0डब्लू03 के बयानों में आपस में ही काफी विरोधाभाष है। तनकी सं. 03 को भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरूद्व निर्णित करने में कानूनी भूल कि है जबकि अपीलार्थीगण ने सेटलमेंट विभाग वालो द्वारा किये गये गलत इन्द्राज को दुरस्त करने के लिये बाबूलाल बनाम हरकेश इन्द्राज दुरूस्ती का दावा अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर रखा था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने मुकदमा बाबूलाल बनाम हरकेश एंव शान्ति बनाम खिलाडी को एक साथ कन्सोलीडेट ना कर शान्ति बनाम खिलाडी का पृथक रूप से निर्णय करने में कानूनी भूल की है। तनकी सं. 05 को भी अपीलार्थीगण के विरूद्व निर्णित करने में कानूनी भूल की है क्योंकि पी0डब्लू01 की साक्ष्य से रेस्पों. का भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं होना साबित है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने शांतिदेवी के बयानों पर कोई गौर नहीं कर तनकी सं. 05 को अपीलार्थीगण के विरूद्व निर्णित करने में कानूनी भूल की है। रेस्पों. उक्त निर्णय की आड में अपीलार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अपीलार्थीगण मजदूर पेशा व्यक्ति है जो मजदूरी करने बाहर चले गये थे इसलिये उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णिय की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 12.06.2021 को हल्का पटवारी व गिरदावर मौके पर सीमाज्ञान के लिये आये तब जाकर अपीलार्थीगण को जानकारी हो सकी। दिनांक 15.06.2021 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त की। अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलार्थी को हो सका। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

4. रेस्पों. के विद्वान अधिवक्ता ने [illegible] बताया कि आराजी ख.नं. 639 रकबा 1.15 है0 स्थित [illegible] पुर सिटी है जिसकी खातेदारी तुलसा बेवा हरिया, जयसिंह पुत्र हरि[illegible] के नाम थी। उक्त आराजी को जरिये रजिस्ट्री रेस्पों. द्वारा क्रय किया गया है। क्रय कर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया। जरिये नामांतकरण सं. 439 दिनांक 27.08.2013 के भूमि रेस्पों. के नाम अंतरिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की गई तभी से रेस्पों. उक्त विवादित आराजी को बहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है एवं सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। अपी० का रेस्पों. की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी से कोई संबंध व ताल्लुक वास्ता नहीं है। रेस्पों. द्वारा भूमि को क्रय किये जाने से अपी० नाराज थे। अपी० उक्त भूमि को खरीदना चाहते थे लेकिन खातेदार द्वारा अपी० को भूमि विक्रय न कर रेस्पों. को भूमि हस्तांतरित कर कब्जा संभला दिया। इस बात से अपी० के मन में बदयान्ति आ गयी। अपी० सरगना है। रेस्पों. गरीब महिलाएं है। रेस्पों. की असहाय स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर अपी० द्वारा रेस्पों. को परेशान किया जा रहा है। अपी० द्वारा दिनांक 12.10.2014 को रेस्पों. को ऐलानिया धमकी दी कि भूमि पर काश्त नहीं करने देगें। अपी० काश्त का समय निकाल देना चाहते है ताकि भूमि अजोत पडी रह जायें तथा रेस्पों. अपनी काश्त नहीं कर सकें। अपी० नाजायज रूप से रेस्पों. को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से रेस्पों. को बेदखल कर देना चाहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपी० को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अतः अपी० की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावें। न्यायिक दृष्टांत 2019 (2) RRT 992, 2018(2) RRT 886, 2009 RBJ (16) 351, 2012 RBJ (19) 421 पेश की।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2029–33 वाके ग्राम कडी गावडी के अनुसार ख.नं. 248/24 हरिया पुत्र गौरया गूर्जर सा.देह के नाम अंकित है। बन्दोवस्त विभाग द्वारा तैयार मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख.नं. 248/24 से ख.नं. 1089/1391 बनना स्पष्ट है। क्षे[illegible] 57 के अनुसार ख.नं. 1089/1391 से ख.नं. 639 निर्मित होना स्पष्ट है। [illegible] सम्वत 2066 ल० 2069 वाके ग्राम कडी गांवडी के खतौनी सं. 49 के अ[illegible] ख.नं. 639 तुलसा बेवा हरिया, जयसिंह पुत्र हरिया जाति [illegible] इसी जमाबंदी पर ख.नं. 639 पर नामांतरकरण सं. 439 दिनांक 27.08.2013 का अंकन है जिसके अनुसार ख.नं. 639 शांति पत्नी रामहरी, पाना पत्नी प्रहलाद के नाम अंकित हुआ है। विचारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पी0डब्लू01 शांति पत्नी रामहरी ने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में विवादित आराजी को क्रय कर कब्जा संभालने बाबत् कथन किया है परन्तु जिरह में कथन किया है कि "खिलाडी, कमल, पप्पू वगै0 ने इस जमीन पर बाद में कब्जा किया था, जमीन खरीदी थी उस समय कब्जा नहीं था।" स्वतंत्र गवाह दरबसिंह (पी0डब्लू02) व देवी सहाय (पी0डब्लू03) ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि शांति ने कब्जा उनके सामने लिया था। साक्ष्य प्रतिवादी हेतु पत्रावली दिनांक 02.03.2020 को नियत की गयी थी। दिनांक 27.01.2021 तक साक्ष्य प्रतिवादी हेतु पर्याप्त समय दिया गया था। इसके पश्चात् दिनांक 27.01.2021 को "प्रतिवादी साक्ष्य नहीं कराना चाहते है अतः साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती है" आदेशिका में लिखित कर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी है। इससे स्पष्ट है कि अपी0/प्रतिवादीगण द्वारा विचारण न्यायालय में साक्ष्य भी नहीं करवाये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2021 पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के पश्चात् किया गया है। इसलिये इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 126/14 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2021 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

11.1.22

(बी0 एल0 रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner